जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका।

मनरेगा अन्तर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)/तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/कम्प्यूटर सहायक/लेखा सहायक/ग्राम रोजगार सेवक की संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी सूचना :–

।। विज्ञापन ।।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना ज्ञापांक 4729 दिनांक 04.06.2007 एवं नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012 के संकल्प ज्ञापांक 6440, दिनांक– 17.07.2012 से निर्गत एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1617, दिनांक– 17.03.2023, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प ज्ञापांक (N) 848 दिनांक– 21.03.2017 एवं मनरेगा आयुक्त, गामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 972 दिनांक 13.07.2023 तथा पत्रांक 996 दिनांक 20.07.2023 के आलोक में दुमका जिला के अधीन मनरेगा अन्तर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)/तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/कम्प्यूटर सहायक/लेखा सहायक/ग्राम रोजगार सेवक की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, जिसकी पदवार विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	पद का नाम	मासिक परिलब्धि	अनारक्षित	आ0क0वर्ग0	अ0ज0जा0	अ0जा0	कुल	निःशक्तता के अनुमान्य प्रवर्ग (क्षैतिज आरक्षण)
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	23140/–	1	0	0	1	**2**	—
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	22000/–	0	0	5	0	**5**	—
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	19000/–	5	1	7	0	**13**	—
4	लेखा सहायक	14300/–	2	0	3	1	**6**	—
5	कम्प्यूटर सहायक	14300/–	0	0	6	1	**7**	—
6	ग्राम रोजगार सेवक	11000/–	17	8	44	0	**69**	**3**

नोटः– कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(1) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :

(i) अनिवार्य योग्यता– सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है, परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता– (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0(कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने के लिए पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिया जायेगा तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर आनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

(ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

(2) तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :

(i) अनिवार्य योग्यता– सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) अतिरिक्त योग्यता– (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।
(ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

(3) तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :

(i) अनिवार्य योग्यता– सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) अतिरिक्त योग्यता– (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0 तथा बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर आनर्स तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।
(ख) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।
(ग) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

(4) लेखा सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :

(i) अनिवार्य योग्यता – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम0कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम आनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता– (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।
(ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

(5) कम्प्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :

(i) अनिवार्य योग्यता –

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे –

1. बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स
2. बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य
3. बी0सी0ए0
4. सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण।

(b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होने तत्पश्चात् पी0जी0डी0 सी0ए0 किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता– (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी। (ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

(6). ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :

(i) अनिवार्य योग्यता – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमिडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात् ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमिडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता– (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 05 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 05 घटा दिया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमिडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

उपर वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होगी।

नोट:– अभ्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DBE से मान्यता संबंधित कागजात/मार्कशीट को आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यार्थी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में CGPA/DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अन्तरण कराकर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत में अन्तरण नही कराये जाने पर संबंधित संलग्न शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के अंक की गणना नही की जाएगी।

(7) आयु सीमा – दिनांक– 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम निम्न प्रकार होगी :

क्रमांक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	अनारक्षित/आ0क0वर्ग0	35 वर्ष	45 वर्ष
2	महिला (अनारक्षित)	38 वर्ष	48 वर्ष
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	40 वर्ष	50 वर्ष

आरक्षण :– (क) अ0क0वर्ग0/अनु0जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तता वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों (दुमका जिला के लिये प्रभावी) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(8) राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का नागरिक हो।

(9) चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन जिला अन्तर्गत किसी भी प्रखण्ड/पंचायत के रिक्त पदों में उपायुक्त –सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुमका द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी एवं अन्तिम होगा।

(10) नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें :–

(i) उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ii) प्रारंभिक चरण में संविदा आधारित नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व नियुक्ति के लिए गठित समिति द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर किये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(iii) संविदा के आधार पर उपरोक्त सेवाऐं नवीकरण नहीं होने पर सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(iv) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसे नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगें।

(v) उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए किसी एक जिला में आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का एक शपथ पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य होगा कि झारखण्ड प्रांत के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। उनके द्वारा समर्पित शपथ पत्र/कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी। साथ ही इसके लिए उसके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(vi) आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (अनुमान्य होने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

(vii) आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी।

(viii) विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(ix) चयन संबंधी प्रक्रिया में जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। समिति किसी भी समय विज्ञापन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(x) उल्लेखित सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन नही किये जाने की दशा में समर्पित अभ्यावेदन अमान्य मानकर निरस्त कर दिया जायेगा एवं इस हेतु किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।

(xi) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(11) आवेदन कैसे जमा करें :–

(i) आवेदन पत्र दिनांक 27-09-2023 के अपराह्न 5.00 बजे तक उप विकास आयुक्त, दुमका के कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका में केवल निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अन्य माध्यम से समर्पित आवेदन एवं निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन हेतु लिफाफा के उपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

(ii) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

(iii) नियुक्ति से संबंधित सूचना समय–समय पर दैनिक समाचार पत्र एवं जिले के वेबसाईट - dumka.nic.in के माध्यम से दी जायेगी।

उपायुक्त
–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
दुमका।

आवेदन का प्रारूप

1) आवेदित पद का नाम :–

2) आवेदक का नाम :–

3) आवेदक का पिता / पति का नाम :–

4) लिंग (पुरूष / महिला) :–

5) स्थायी पता :–

6) पत्राचार का पता :–

7) जन्म तिथि :–

8) दिनांक– 01.01.2023 को उम्र :– वर्ष ....माह .... दिन ....

9) कोटि (अनारक्षित / अ0ज0जा0 / अ0जा0 / आ0क0वर्ग) :–

10) दूरभाष / मोबाईल नं0 :–

11) ईमेल (यदि है तो) :–

12) शैक्षणिक योग्यता(प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न):–

अभिप्रमाणित फोटो

(i) अनिवार्य योग्यता

क्र0	परीक्षा उत्तीर्ण	बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1						
2						
3						
4						

(ii) अतिरिक्त योग्यता :–

क्र0	परीक्षा उत्तीर्ण अतिरिक्त योग्यता की डिग्री का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1						
2						
3						
4						

13) अन्य योग्यता :–

14) अनुभव :–

15) जाति प्रमाण पत्र ....(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

16) आवासीय प्रमाण पत्र..............................(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

17) अनुलग्नक :–

घोषणा :– प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सभी विवरणी सत्य है। असत्य एवं गलत पाये जाने पर स्वयं दण्ड के भागी होंगे।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक का हस्ताक्षर